

**प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 22.09.2021**

**नाबालिक से छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन में मैं वरि० उ०नि० दिनेश बहादुर सिंह मय हमराही कर्मचारी गण का० संतोष कुमार, का० इम्तियाज अहमद, के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी में नन्दापरा तिराहे के पास मामूर था कि जरिये मुखविर खास द्वारा सूचना मिली की मु०अ०सं० 239/21 धारा 452/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्णा उर्फ किशन सिंह पुत्र स्व० कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम छपिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर छपिया मोड़ पर खड़ा है जो कही जाने के लिए सवारी के इन्तजार में खड़ा है यदि जल्दी किया जाए तो मुखविर की बात पर विश्वाकर करके मुखविर को साथ लेकर छपिया जाने वाले मोड़ के सौ मीटर पहले बाये पटरी पर खड़े ब्यक्ति के तरफ इसारा करके चला गया हम पुलिस वाले हिकमत अमली से पकड़ लिया गया नाम पता पुछा गया तो कृष्णा सिंह उपरोक्त बताया कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 8.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-**

कृष्णा उर्फ किशन सिंह पुत्र स्व० कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम छपिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर

**पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०सं० 239/21 धारा 452/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट

**गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-**

1. वरि० उ०नि० दिनेश बहादुर सिंह
2. का० संतोष कुमार
3. का० इम्तियाज अहमद